(114)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक : 793–दो/2013 निगरानी – विरूद्ध आदेश दिनांक 7–9–2012 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 1457/2011–12 अपील

1– महाबली सिंह पुत्र हरपाल सिंह चाहौन
2– चन्द्रवली सिंह मृतक वारिस
अ– श्रीमती चन्द्रवली सिंह
ब– मनोज सिंह पुत्र स्व. चन्द्रवली सिंह
स– प्रमोद सिंह पुत्र चन्द्रवली सिंह
3– प्रभूनाथ सिंह 4– लखपति सिंह
5– कुशल सिंह पुत्रगण पुत्र हरप्रसाद सिंह चौहान
6– सूयबली सिंह 7– महीपत सिंह पुत्रगण बद्रीसिंह
सभी ग्राम देवघटा तहसील गोपदबनास जिला सीधी ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– छोटेलाल मृतक पुत्र बद्रीसिंह
वारिस
अ– बाबूलाल सिंह ब– राजकुमार सिंह
स– व्दारिका सिंह पुत्रगण स्व.छोटेलाल
सभी ग्राम देवघाट तहसील गोपदबनास जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक बाबसूद सूचना अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19 - 04 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1457/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–9–12 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक स्वर्गीय छोटेलाल ने अपने जीवनकाल में सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 5 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह एंव आवेदकगण एक ही वॅश वृक्ष के सदस्य है। ग्राम देवघटा की भूमि खसरा नंबर बी 1 खाता क्रमांक 65 कुल किता 18 कुल रकबा 4-838 हैक्टर भूमि हरपाल पिता अजायव सिंह , बी-1 खाता क्रमांक 66 किता 16 रकबा 4-555 हैक्टर हरप्रसाद सिंह पुत्र माधौसिंह , सूर्यवली सिंह पुत्र बद्रीसिंह तथा बी-1 खाता क्रमांक 67 कुल किता 4 कुल रकबा 2-059 हैक्टर के भूमिस्वामी हरप्रसाद सिंह पुत्र माधव सिंह , खाता नंबर 24 के खसरा नंबर 221 रकबा 0.482 हैक्टर के भूमिस्वामी सूर्यवली सिंह पुत्र बद्रीसिंह , खाता क्रमांक 34 खसरा नंबर 229 रकबा 0.271 है. के संदर्भ हेतु जमाबंदी की नकल संलग्न है। अनावेदक एंव आवेदक को कुल किता 10 कुल रकबा 2-643 है. प्राप्त होता है तद्नुसार बटवारा किया जावे। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 5 ने प्रकरण क्रमांक 13 अ-27/1996-97 पॅजीबद्ध किया तथा आदेश दिनांक 19-5-1998 पारित करके सूर्यवली सिंह, हरप्रसाद, हरप्रसाद, हरपाल सिंह के बीच बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सीधी ने प्रकरण क्रमांक 50/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-9-2002 से अपील स्वीकार करते हुये सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 5 का आदेश दिनांक 19-5-1998 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक स्वर्गीय छोटेलाल ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1457/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-12 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 16-9-2002 को निरस्त कर दिया तथा सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी दल क्रमांक 5 के बटवारा आदेश दिनांक 19-5-1998 को यथावत् रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने। अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक स्वर्गीय छोटेलाल के वारिसान को विधिवत् सूचना भेजी गई। बार-बार सूचना भेजने के उपरांत

अनुपस्थित रहने से अंत में रजिस्टर्ड डाक से भी सूचना भेजी गई, किन्तु वे अनुपस्थित रहे हैं , उनके विरूद्ध एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह सही है कि शासकीय अभिलेख में ग्राम देवघटा की भूमि खसरा नंबर बी 1 खाता कमांक 65 कुल किता 18 कुल रकबा 4-838 हैक्टर भूमि हरपाल पिता अजायव सिंह , बी-1 खाता कमांक 66 किता 16 रकबा 4-555 हैक्टर हरप्रसाद सिंह पुत्र माधौसिंह , सूर्यवली सिंह पुत्र बद्रीसिंह तथा बी-1 खाता कमांक 67 कुल किता 4 कुल रकबा 2-059 हैक्टर के भूमिस्वामी हरप्रसाद सिंह पुत्र माधव सिंह , खाता नंबर 24 के खसरा नंबर 221 रकबा 0.482 हैक्टर के भूमिस्वामी सूर्यवली सिंह पुत्र बद्रीसिंह , खाता कमांक 34 खसरा नंबर 229 रकबा 0.271 है. के नाम दर्ज है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी के समक्ष प्रचलित बटवारे के दौरान आवेदकगण की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है जिसका विवरण सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-5-1998 के पद 2 में इस प्रकार किया है :-

" **अनावेदकगण न्याया. में उपस्थित होकर जवाव दावा प्रस्तुत किये कि आवेदित भूमियों का जो बटवारा आवेदक द्वारा चाहा गया है जिसमें स्वत्व का प्रश्न निहित है जिसके निराकरण की अधिकारिता माननीय व्यवहार न्यायालय को है ऐसी स्थिति में आवेदक माननीय न्यायालय के सुनवाई क्षेत्र के वाहर होने से प्रकरण निरस्त कर दिया जाय। जवाव दावा शा.प्रकरण है इसके उपरांत अनावेदकगण वावजूद सूचना अनुपस्थित रहने लगे इससे उनके विरूद्ध दिनांक 6-5-98 को एकपक्षीय आदेश किया गया। "**

इस प्रकार का निर्णय लेते हुये सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी ने केवल अनावेदक को सुनकर आदेश दिनांक 19-5-1998 पारित करके पक्षकारों के बीच भूमि का बटवारा कर दिया। सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण अर्थात इस निगरानी के आवेदकगण ने व्यवहार न्यायालय में स्वत्व का प्रश्न विनिश्चित कराने एंव सहायक बंदोवस्त अधिकारी से बटवारा न करने का आग्रह किया है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 (1) में इस प्रकार प्रावधान है :-

" **यदि किसी खाते में जिस पर धारा 59 के अधीन कृषि के प्रयोजन के लिये निर्धारण किया गया हो , एक से अधिक भूमिस्वामी हों तो उनमें से कोई भी**

भूमिस्वामी उस खाते में के अपने अंश के विभाजन के लिये तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा (परन्तु यदि हक संबंधी कोई प्रश्न उठाया जाता है तो तहसीलदार अपने समक्ष की कार्यवाहियों को तीन मास की कालावधि तक के लिये रोक देगा जिससे कि हक संबंधी प्रश्न के अवधारण के लिये सिविल वाद का संस्थित किया जाना सुक हो जाय) ''

जव सहायक बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष स्पष्ट आपत्ति की गई थी कि मामले में सिविल वाद का विषय समाहित है एंव आपत्ति करने के वाद आपत्तिकर्ता अनुपस्थित रहे कि सिविल वाद के कारण राजस्व न्यायालय में बटवारे की कार्यवाही रोक दी गई होगी, प्रथमतः सिविल वाद की आपत्ति आने पर सहायक बंदोवस्त अधिकारी को बटवारा कार्यवाही रोक देना थी और नहीं रोकी गई, तब विधिवत् आवेदकगण (बंदोवस्त अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण) को पुनः लेखी सूचना देकर बटवारे की कार्यवाही आगे बढ़ाना थी, परन्तु सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने जानबूझकर नियम एंव प्रकिया का अनदेखी करके आवेदकगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये बटवारा आदेश पारित किया है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी सीधी ने आदेश दिनांक 16-9-2002 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को ठीक ही निरस्त किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 7-9-12 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देते हुये सहायक बंदोवस्त अधिकारी की त्रृटिपूर्ण कार्यवाही पर आधारित आदेश दिनांक 19-5-1998 को पुष्टिकृत करने में भूल की गई है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि मृतक छोटेलाल के पुत्रगण (अनावेदक) ने वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा का दावा मान. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 जिला सीधी के न्यायालय में दायर कराया था जो प्रकरण कमांक 217 ए/2012 पर पॅजीबद्व होकर आदेश दिनांक 6-9-16 से निराकृत हुआ है । माननीय व्यवहार न्यायाधीश के आदेश दिनांक 6-9-16 का पद 24 का उद्धरण इस प्रकार है :-

" 24- वाद प्रश्न कमांक 5 : सहायता एंव वाद व्यय - बादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्व ग्राम देवघटा तह. गोपदबनास जिला सीधी स्थित भूमि खसरा क. 408 का अंश रकबा 0.13 है., 410 का अंश रकबा 0.02 है., 410 का अंश रकबा 0.02 है., 410 का अंश रकबा 0.02 है., 411 का अंश रकबा 0.02 है., खसरा क. 411 का अंश रकबा 0.02 है., खसरा कमांक 411 का अंश रकबा 02 है. के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा वावत प्रस्तुत किया गया था जो प्रमाणित न होने से

निरस्त किया जाता है एंव निम्नानुसर आज्ञप्ति पारित की जाती है। ''

अनावेदक ने माननीय व्यवहार न्यायाधीश के आदेश दिनांक 6-9-16 के विरूद्ध मान0 जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय में नियमित सिविल अपील कमांक 46-ए/2016 प्रस्तुत की थी, जो आदेश दिनांक 08 मार्च 2017 से निरस्त की गई है। माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बन्धनकारी है। सहायक बंदोवस्त अधिकारी सीधी के आदेश दिनांक 19-5-1998 के प्रथम पद में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अंकित विवरण अनुसार वादग्रस्त भूमियां एकल खाते की प्रतीत हुई है परन्तु सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने उपरोक्त पदों में आये तथ्यों के विपरीत जाकर मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 में दिये गये बटवारा नियमों के विपरीत कार्यवाही करना पाने से अनुविभागीय अधिकारी सीधी ने आदेश दिनांक 16-9-2002 से सहायक बंदोवस्त अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को निरस्त किया है परन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 7-9-12 पारित करते समय उक्त तथ्यों पर ध्यान न देते हुये सहायक बंदोवस्त अधिकारी के त्रृटिपूर्ण आदेश को पुष्टीकृत करने में भूल की गई है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 7-9-12 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1457/2011-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-9-12 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी सीधी व्दारा प्रकरण कमांक 50/1997-98 अपील में पारित आदेश दिनांक 16-9-2002 उचित होने से यथावत् रखते हुये निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर